



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौराजी नगर, नई दिल्ली - 110029  
टेली: 2618 9709

संयोजित जयन्त

याचिका सं. 69/टीएल/2025

दिनांक: 03.03.2025

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बीकानेर बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात "परियोजना" कहा गया है) पर "राजस्थान आरईजेड फेज IV (पार्ट 3: 6 जीडब्ल्यू) [बीकानेर कॉम्प्लेक्स] : पार्ट बी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	2x240 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर और 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर सहित सिवानी (जिला भिवानी) के पास उपयुक्त स्थान पर 765/400 केवीए 6x1500 एमवीए एस/एस की स्थापना <ul style="list-style-type: none"> <li>765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी- 6 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 19x500 एमवीए)</li> <li>765 केवी आईसीटी बे- 6 नं.</li> <li>400 केवी आईसीटी बे - 6 नं.</li> <li>765 केवी लाइन बे- 2 नं. (बीकानेर-IV पीएस सहित 765 केवी अंतरसंयोजन के लिए)</li> <li>400 केवी लाइन बे- 4 नं. (400 केवी अंतरसंयोजनों के लिए)</li> <li>240 एमवीएआर बस रिएक्टर- 2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित, 7x80 एमवीएआर)</li> <li>765 केवी बस रिएक्टर बे- 2 नं.</li> <li>125 एमवीएआर बस रिएक्टर- 2 नं.</li> <li>400 केवी बस रिएक्टर बे- 2 नं.</li> <li>400 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट</li> <li>400 केवी बे: 2 नं. (स्टेटकॉम के लिए)</li> </ul> सिवानी एस/एस पर भावी प्राक्धान: के लिए स्थान <ul style="list-style-type: none"> <li>स्विचबल लाइन रिएक्टरों सहित 765 केवी लाइन बे- 8 नं.</li> <li>बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर: 1 नं.</li> <li>स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 8 नं.</li> <li>बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर: 1 नं.</li> <li>400 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट</li> </ul>	एसपीवी अंतरण से 24 मास
2.	प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित बीकानेर-IV पीएस-सिवानी 765 केवी डी/सी (सेकण्ड) लाइन <ul style="list-style-type: none"> <li>बीकानेर-IV पीएस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर - 2 नं.</li> <li>सिवानी एस/एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर - 2 नं.</li> <li>बीकानेर-IV पीएस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण- 2 नं.</li> <li>सिवानी एस/एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण- 2 नं.</li> </ul>	
3.	सिवानी एस/एस पर एमएससी (4x125 एमवीएआर) और एमएसआर (2x125 एमवीएआर) सहित स्टेटकॉम (2x±300एमवीएआर)	
4.	सिवानी एस/एस सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 63 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित सिवानी - सोनीपत (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वेड) <ul style="list-style-type: none"> <li>सिवानी एस/एस सिरे पर 420 केवी, 63 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर - 2 नं.</li> <li>सिवानी एस/एस सिरे पर 420 केवी, 63 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं.</li> </ul>	
5.	सिवानी-जिंद (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वेड)	
6.	जिंद (पीजी) और सोनीपत (पीजी) एस/एस पर प्रत्येक 2 नं. 400 केवी लाइन बे <ul style="list-style-type: none"> <li>जिंद (पीजी) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे - 2 नं.</li> <li>सोनीपत (पीजी) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे - 2 नं.</li> </ul>	
7.	बीकानेर-IV पीएस पर 2 नं. 765 केवी लाइन बे <ul style="list-style-type: none"> <li>बीकानेर-IV पीएस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं.</li> </ul>	

### नोट:

- पावरग्रिड जिंद (पीजी) और सोनीपत (पीजी) एस/एस पर प्रत्येक 400 केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- बीकानेर- IV पीएस का विकासकर्ता 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 69/टीएल/2025 में दिनांक 3.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- बीकानेर बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 18.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पुथी)  
सचिव